

क्रमांक:-एफ2(781)/डीओआईटीएण्डसी/2025

जयपुर, दि.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विरेन्द्र कुमार माली, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्व तहसील, तंतोटी अजमेर द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से M.A. II year (Economics)-2026 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पत्राचार माध्यम से अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री विरेन्द्र कुमार माली, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान किया जाता है:-

1. अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(अखिलेश मित्तल)

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित विभाग/कार्यालय.....।
3. संबंधित कार्मिक/कार्मिका.....।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी

Signature valid

